क्रम-संख्या–115

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 जुलाई, 2025

आषाढ़ 31, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

संख्या 1407/81-2–2025-29(15)-2025
लखनऊ, 22 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0–120

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	गाटों के भाग की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	विजयगढ़	रामपुर	430ख	–	33.7437	**उत्तर**–खसरा संख्या–430ख का शेष भाग और खसरा संख्या–430क **दक्षिण**–खसरा संख्या–461 और 491 **पूरब**–ग्राम काशी की सरहद, खसरा संख्या–430ख का शेष भाग **पश्चिम**–खसरा संख्या–430ख का शेष भाग

1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	विजयगढ़	देवहार	416क मि0	1	0.6986	**उत्तर**–खसरा संख्या–413, 415 और 416क का शेष भाग **दक्षिण**–खसरा संख्या–477, 416ख (सड़क) **पूरब**–खसरा संख्या–417, 415 **पश्चिम**–खसरा संख्या–416ख (सड़क),416क का शेष भाग
					2	3.5277	**उत्तर**–खसरा संख्या–416ख (सड़क), 311, 310, 307, 303, 302, 300, 319 **(सड़क)** **दक्षिण**–खसरा संख्या–477 **पूरब**–खसरा संख्या–416ख (सड़क), 311, 310 **पश्चिम**–खसरा संख्या–300, 302, 303,307, 311, 310
					कुल	4.2263	
			योग	2 गाटा		37.97	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1407/LXXXI-2–2025-29(15)-2025, dated July 22, 2025 :

No. 1407/LXXXI-2–2025-29(15)-2025

Dated Lucknow, July 22, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra Plot No.	Number of Parts of the Gata	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonbhadra	Robertsganj	Vijaygarh	Rampur	430kh	-	33.7437	**North**- Remaining part of Khasra No.430kh and Khasra No.430k **South**- Khasra No. 461, 491 **East**- Border of Kashi village Remaining part of Khasra No.430kh **West**- Remaining part of Khasra No.430kh
			Devahar	416K Mi	1	0.6986	**North**- Khasra No.413, 415 and Remaining part of 416k **South**- Khasra No.477, 416kh (Road) **East**- Khasra No. 417, 415 **West**-Khasra No. 416kh (Road), Remaining part of Khasra No.416k
					2	3.5277	**North**- Khasra No.416kh (Road), 307, 310, 311, 303, 302, 300, 319 (Road) **South**- Khasra No.477 **East-** Khasra No. 416kh (Road) 311, 310 **West**- Khasra No. 300, 302, 303, 307, 311, 310
					Total	4.2263	
			Total	2 Gata	37.97		

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 108 राजपत्र–2025–(299)–599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
108 RPH 2025 (Paryavaran Anubhag-2) data 8e